रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 110] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 20, 2011/पौष 30, 1932
No. 110] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 20, 2011/PAUSA 30, 1932

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2011

का.आ. 138(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 910(अ), तारीख 21 अप्रैल, 2010, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की सारणी के स्तंभ (1) के अधीन, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 के सामने, स्तंभ (2) और स्तंभ (3) में मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. एनएच-14013/13/2009-पी एंड एम]

माया प्रकाश, उप-सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र संख्यांक का.आ. 910 (अ), तारीख 21 अप्रैल, 2010 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 2011

S.O. 138(E).—In exercise of powers conferred by Section 11 of the National Highways Authority of India, Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 910(E), dated 21st April, 2010, namely :—

In the Table to the said notification, under column (1), against National Highway number 75, the entries in columns (2) and (3), in respect of State of Madhya Pradesh shall be omitted.

[F. No. NH-14013/13/2009-P & M]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India *vide* number S.O.910 (E), dated 21st April, 2010.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2011

का.आ. 139(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनसूची में क्रम सं. 13 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"13.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7 [243.600 कि.मी. से 651.500 कि.मी. को छोड़कर (मध्य प्रदेश में रीवा से कटनी और महाराष्ट्र सीमा तक)], राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 12 [10.20 कि.मी. से 314.00 कि.मी. को छोड़कर (जबलपुर-भोपाल) और 1.40 कि.मी. से 67.20 कि.मी. ब्यावरा-म.प्र. और राजस्थान सीमा सेक्शन (ब्यावरा-राजगढ़ से मध्य प्रदेश/राजस्थान सीमा)], राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 26क, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 27, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 75 [0.00 कि.मी. से 85.00 कि.मी. को छोड़कर ग्वालियर से म.प्र./उ.प्र. सीमा जिसमें ग्वालियर-झांसी सेक्शन का ग्वालियर बाईपास भी है], राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 76 [0.000 कि.मी. से 30.00 कि.मी. को छोड़कर (मध्य प्रदेश और राजस्थान सीमा से शिवपुरी तक)] तक और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 92 मध्य प्रदेश राज्य के भीतर यथा अवस्थित भाग।	मध्य प्रदेश राज्य सरकार "।

[फा. सं. एनएच-14013/13/2009-पी एंड एम]

माया प्रकाश, उप-सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में संख्यांक का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन संख्यांक का.आ. 2706(अ), तारीख 2 नवम्बर, 2010 द्वारा किया गया ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 2011

S.O. 139(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 1096(E), dated 4th August, 2005, namely :—

In the Schedule to said notification, for serial number 13 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

"13.	So much of National Highway No. 7 [excluding from Km. 243.600 to Km. 651.500 (Rewa to Katni to Madhya Pradesh and Maharastra Border)], National Highway No. 12 [excluding from Km. 10.20 to Km. 314.00 (Jabalpur -Bhopal) and from Km. 1.40 to Km. 67.20 of Biaora-MP and Rajasthan Border Section (Biaora-Rajgarh to Madhya Pradesh /Rajasthan Border)], National Highway No. 26A, National Highway No. 27, National Highway No. 75 [excluding from Km. 0.00 to Km. 85.00 of Gwalior to UP/MP Border including Gwalior Bypass of Gwalior-Jhansi Section], National Highway No. 76 [excluding from Km. 0.000 to Km. 30.000 (Madhya Pradesh and Rajasthan Border to Shivpuri)] and National Highway No. 92 as are situated within the State of Madhya Pradesh.	State Government of Madhya Pradesh".

[F. No. NH-14013/13/2009-P & M]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India *vide* number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and last amended *vide* number S.O. 2706 (E), dated the 2nd November, 2010.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.